FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अ[illegible] अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

- श्री गणेश पुत्र जीवनराम गुर्जर आयु 20 साल निवासी ग्राम सांवतसर तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज. व अन्य। वादी

बनाम

- श्री जीवणराम पुत्र स्व. भूरा वल्द हुक्मा जाति गुर्जर निवासी ग्राम सांवतसर तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज0 वगै0 प्रतिवादीगण

किस्म मुकदमा – धारा 88, 53, 188 राज0काश्त0 अधिनियम 1955

दर्ज क्रमांक 211 / 2025

ऑन लाईन नंबर 2025 / .....

वकील वादी श्री गोविन्द दास पुरोहित वकील प्रतिवादीगण ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28/8/25	यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील श्री चालक सिंह ने अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0काश्त0 अधिनियम 1955 के तहत् पेश किया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 16.09.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	
16/9/25	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 11/11/25 को पेश हो। नोटि० शा० मि०	
11/11/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप./ पीठासीन अधिकारी चुनाव में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते जवाब दिनांक 3/2/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 211/2025

श्री गणेश पुत्र जीवणराम गुर्जर आयु 20 साल निवासी ग्राम सांवतसर तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज0 व अन्य
वादीगण

बनाम

श्री जीवणराम पुत्र स्व. भूरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम सांवतसर तहसील किशनगढ, जिला अजमेर राज0 व अन्य
प्रतिवादीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

दिनांकः 09.03.2026

1. यह प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2026 को प्रतिवादी सं0 02, 03 के अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र में वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि हस्तगत वाद में वर्णित भूमि खसरा संख्या 204/2 को राजस्थान सरकार ग्रुप 01 विभाग जयपुर द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.04(47) उद्योग/01/1996 दिनांक 08.01. 2003 को ही अवाप्त कर रिको को उद्योग विस्तार हेतु आवंटित कर दी गई है। तथा प्रार्थीगण जो इसके खातेदार थे को मुआवजा राशि प्रदान कर भूमि का कब्जा प्राप्त कर इसे रिको द्वारा उद्योगों हेतु आवंटित कर दिया गया है। भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वार भूमि अवाप्त करने से भूमि का मालिकाना हक राज. सरकार का है तथा कृषि भूमि का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। रेवेन्यू रिकार्ड में सहवन से भूमि कृषि भूमि होने से वादीगणों ने दुर्भावना पूर्वक राजस्व वाद प्रस्तुत कर दिया है जो कि निरस्तनीय है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि भूमि अवाप्त हो जाने के कारण तथा भूमि का मालिकाना हक राज. सरकार का होने के कारण वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज फरमाने की कृपा करें।

3. दिनांक 16.02.2026 को वकील वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि वादीगण ने प्रस्तुत वाद ग्राम सांवतसर के वादग्रस्त खसरा संख्या 204 / 2 की 4 बीघा 1 बिस्वा पैतृक कृषि भूमि में धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तक By Birth प्राप्त हक व अधिकार के अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अधिन अपने खातेदारी अधिकार की घोषणा हेतु माननीय न्यायालय में दिनांक 04.08.2025 को पेश किया है। धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अधिन प्रस्तुत वाद को सुनने का एक मात्र अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। ग्राम सांवतसर के वादग्रस्त खसरा संख्या 204 / 2 की 4 बीघा 1 बिस्वा भूमी वादीगण के दादा भूरा वल्द हुक्मा गुर्जर के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमी जिसका

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

अंकन वादपत्र के पेरा संख्या 3 मे किया गया है और वादपत्र के पेरा संख्या 2 मे परिवार का सजरा अंकित किया है। वादीगण ने वादग्रस्त खसरा संख्या 204/2 के राजस्व रिकार्ड (सेटल्मेन्ट / एकीकरण / मिलान क्षेत्रफल / वर्किंग जमाबंदी । नामांतरण) आदि की प्रमाणित नकल तहसील कार्यालय से दिनांक 08.05.2025 को प्राप्त की है। जिसमे वादग्रस्त खसरा संख्या 204 / 2 की 4 बीघा 1 बिस्वा भूमी वादीगण के दादा भूरा वल्द हुक्मा गुर्जर की नाम जरिए नामांतरण संख्या 426 दिनांक 03.03.1993 खातेदारी में दर्ज की गयी थी तथा वादीगण ने दिनांक 09.07.2025 मे ई मित्र से खसरा संख्या 204 / 2 की जमाबंदी की नकल प्राप्त की जिसमे प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम दर्ज था। वादीगण के दादा भूरा वल्द हुक्मा गुर्जर के निधन के बाद वादग्रस्त भूमी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जरिए विरासत नामांतरण दर्ज की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिए अधिकार पत्र किया गया बेचान दिनांक 12.06.2002 वादीगण के विरुदध शून्य है। वादीगण का प्रस्तुत वाद विधि दवारा वर्जित है और राजस्व न्यायालय दवारा पोषणीय है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान करावे।

4. दिनांक 16.02.2026 को हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा हस्तगत वाद धारा 88, 53, 188 राज.का.अधि. के तहत पेश किया गया है जिसमें वादीगण द्वारा पिता प्रतिवादी संख्या 01 जीवणराम की पैतृक भूमि ग्राम सांवतसर स्थित खसरा संख्या 204/2 में पैतृकता के अनुसार हिस्सा निर्धारण की खातेदारी उद्घोषणा बाबत अनुतोष चाहा गया है किन्तु प्रथम दृष्टया अवलोकन राजस्व रिकार्ड से ताईद है कि स्वयं जीवणराम द्वारा उक्त भूमि का बेचान जरिये विक्रय पत्र कर दिया गया था जिसका नामान्तरण संख्या 27.07.2002 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया। तत्पश्चात वादग्रस्त भूमि राजस्थान सरकार ग्रुप 01 विभाग जयपुर द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.04(47) उद्योग/01/1996 दिनांक 08.01.2003 के तहत राजस्थान राज्य ओद्यौगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड को आवंटित दी गई। जिसके तहत राजस्थान सरकार उद्योग (ग्रुप 01) विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.05.2003 को जारी कर भूमि अवाप्ति अधिकारी को कब्जा लेने के निर्देश दिये गये थे। वादग्रस्त भूमि का आवंटन भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत दिनांक 02.05.2003 की अधिसूचना के द्वारा किया जा चुका था एवं वादग्रस्त भूमि का अवार्ड दिनांक 20.10.2003 को जारी कर दिया गया था, भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 16 के अनुसार " जबकि कलक्टर ने धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय दे दिया हो तब वह भूमि पर कब्जा कर सकेगा जो ऐसा होने पर सब विल्लंगमों से मुक्तकृत सरकार में आत्यन्तिकतः निहित हो जाएगी। " धारा 17(1) के अनुसार " आत्यन्तिकता की दशाओं में जब कभी समुचित सरकार ऐसा निदेश दे तब यद्यपि ऐसा कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है कलक्टर किसी ऐसी भूमि पर जिसकी किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, कब्जा, धारा 9 की उपधारा (1) में वर्णित सूचना के प्रकाशन से पन्द्रह दिन के अवसान पर कर सकेगा। ऐसा होने पर ऐसी भूमि सब विल्लंगमों से मुक्तकृत सरकार में आत्यन्तिकतः निहित हो जाएगी ।" अर्थात वादग्रस्त भूमि पर मालिकाना हक वादीगण के पूर्वाधिकारी/तत्कालीन खातेदार का नही

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

रहेगा। जबकि वाद में वर्तमान रिकार्डेड खातेदार राजस्थान आद्यौगिक निगम को पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं ना ही वाद में इसका उल्लेख किया गया है वादग्रस्त भूमि जिसके नाम दर्ज है तथा उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार जो खातेदार काबिज है, वाद संस्थन के समय उक्त खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया ना ही वाद में कही भी उल्लेख ही किया गया है। उपरोक्तानुसार वादग्रस्त भूमि अवाप्त हो जाने से वाद प्रकथनों में प्रतिवादी के विरूद्ध वादकारण (cause of action) का उल्लेख नहीं होता है। जिससे वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित है। .

(थक्क्षीनामूर्ति बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (2001) मामले में, मदुरै के प्रथम अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी। अतिरिक्त न्यायाधीश ने वाद का खंडन इस आधार पर किया था कि उसमें वाद का कोई कारण नहीं बताया गया था। प्रतिवादियों ने उस मामले में वाद को खारिज करने का प्रयास किया। अंततः, वाद का खंडन वाद के कारण के अभाव के आधार पर किया गया।)

सर्वोच्च न्यायालय ने राज नारायण (मृत) एल. आर. एस. बनाम लक्ष्मी देवी (2001) मामले में भी यही बात दोहराई, साथ ही यह टिप्पणी भी की कि जिस वाद में मुकदमा करने का स्पष्ट अधिकार प्रकट नहीं होता, उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिपेक्ष्य में प्रतिवादी सं0 02, 03 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 वास्ते वाद पत्र खारिज किये जाने बाबत् को स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद विधी द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजत यादव (आई.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)